



2026:AHC:178779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7434 वर्ष

2026

तालिब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार बिंद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिंद और राज्य की ओर से विद्वान् एजीए की बात सुनी गई और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 360/2026 (बीएनएस की धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) के तहत, थाना चांदपुर, ज़िला बिजनौर) में अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कथित घटना 11.06.2026 को रात 10:30 बजे हुई बताई जाती है, जबकि प्राथमिकी अगले दिन यानी 12.06.2026 को रात 8:26 बजे दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक पर धारदार हथियार से चोट पहुँचाने का आरोप है। घायल व्यक्ति को तीन चोटें आईं। चोट संख्या 1 धारदार हथियार से लगा घाव है, जबकि चोट संख्या 2 और 3 फटने से हुआ घाव है। इस प्रकरण में घायल व्यक्ति ने चोट संख्या 2 और 3 के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आगे यह भी कहा गया है कि सभी चोटें मामूली प्रकृति की हैं और इस प्रकरण में कोई अतिरिक्त चिकित्सीय आख्या नहीं है। यह भी कहा गया है कि बीएनएस की धारा 109(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और अपराध बीएनएस की धारा 115(2) और 118(1) से आगे नहीं जाएगा। आवेदक को जेल में रखने के लिए इस प्रकरण में गलत तरीके से बीएनएस की धारा 109(1) लगाई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत की आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यों के पहलू पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख देखा है।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, साक्षियों को डराने-धमकाने की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत आज्ञादी हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती



है जब हिरासत में लेकर विवेचना करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने या आरोपी के भाग जाने की संभावना हो। सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ्तारी विधिक रूप से की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति होने और उसके इस्तेमाल के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और असल में उसने विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत आवेदन को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर आवेदक - **तालिब**, जो ऊपर बताए गए प्रकरण में शामिल है, को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू देनी होंगी, जो संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय को स्वीकार हों;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर विवेचनाधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक, प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से रुके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने पर, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/सूचनाकर्ता को यह अधिकार है कि वह संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

निर्देश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!